1909 का भारत परिषद अधिनियम (THE INDIAN COUNCILS ACT OF 1909

For P.G.Sem -3, CC-13

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले और मिंटो के दिमाग की उपज था जो परिषद अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण अधिनियम था।यही कारण है कि इसे 'मार्ले-मिंटो' सुधार भी कहा जाता है। दिसंबर 1905 में ब्रिटेन में उदार दल की नई सरकार के सत्ता में आने पर ये दोनों सुधारवादी क्रमशः भारत सचिव और वायसराय के पद पर आसीन हुए थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में एक नए तत्वों का समावेश हुआ। यह था- 'फूट डालो और राज करो'। अभी तक ब्रिटिश सरकार 'साहसिक दमन' और उदार वादियों को पक्ष में करने के लिए 'रियायतें' प्रदान करने की नीति पर चल रही थी। दमन का रास्ता मार्ले मिंटो पसंद नहीं करते थे।उदारवादियों को काउंसिलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, वायसराय की कार्यकारी परिषद एवं भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को नियुक्त कर तथा निर्वाचन का सिद्धांत मानकर खुश किया गया और

Scanned with CamScanner

फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अलग-अलग निर्वाचक मंडल बनाने की चाल चली गई।

अधिनियम के पारित होने के कारण

1. 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से कांग्रेस की मांगों की पूर्ति नहीं हुई। भारतीय शिक्षित वर्ग की उचित मांग की अवहेलना तथा सरकारी सेवाओं एवं शासन में उनकी भागीदारी न मिल पाना असंतोष का मूल वजह था। लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने कांग्रेस की दुर्बल भिक्षावृत्ति की नीति की आलोचना की एवं ब्रिटिश शासकों पर दबाव की रणनीति की वकालत की। कुल मिलाकर **1892 के अधिनियम से भारतीय जनमानस में असंतोष** व्याप्त था।
2. 1909 के अधिनियम पारित होने में **कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां** सहायक रही। चाहे 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन के जरिए स्वशासन की मांग को कुचलना हो ,चाहे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर उनका सरकारीकरण करना या फिर सबसे बढ़कर बंगाल का विभाजन, भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना बढ़ी एवं सर्वत्र असंतोष का स्वर व्याप्त हो गया।

Scanned with CamScanner

3. **विदेशों में भारतीयों के साथ विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में होने वाले दुर्व्यवहार** राष्ट्रीय रोष की भावना को जगाया। लोगों को यह समझ में आने लगा जब तक वे स्वतंत्र न हो जाएंगे उन्हें अंग्रेजी उपनिवेशों तथा अन्य देशों में उचित व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। इससे राष्ट्रवाद को बल मिला।
4. उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत में एक व्यापक और भयानक **अकाल** पड़ा तथा **प्लेग का प्रकोप** हुआ जिसे जनता का दुख तथा विपत्ति बढ़ गई। लोगों ने अपनी विपत्ति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदाई ठहराया।
5. लोगों के असंतोष को उभारने में **समाचार पत्र एवं जन सभाओं** की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाचार पत्रों ने तत्कालीन घटनाओं पर उचित ढंग से टीका टिप्पणी की तथा अंग्रेजी प्रशासन की कड़े शब्दों में आलोचना की। तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाजपत राय ने स्थान-स्थान पर जाकर भाषण दिए जिससे जनता में एक नवीन जागृति आई।
6. इन्हीं परिस्थितियों में भारत में **अतिवाद का जन्म** हुआ तथा प्रसार हुआ। उदार वादियों के विपरीत उन्होंने बहिष्कार

Scanned with CamScanner

की नीति(विदेशी माल, व्यापार, राजकीय सेवाओं, उपाधियों तथा पदवियों, इत्यादि) तथा स्वदेशी जैसे नवीन तकनीकों के जरिए देश में नवीन आशा उत्पन्न की।

7. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **1904-05 में जापान जैसे छोटे देश द्वारा भीमकाय रूस को पराजित** किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे समस्त एशिया में एक नई आशा और स्फूर्ति का जन्म इसी प्रकार **1896 में इथोपिया द्वारा इटली को पराजित** किया जाना भी श्वेत व्यक्ति की अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया। लोगों को लगने लगा कि भारतीय भी अंग्रेजों को पराजित कर सकता है।
8. संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता इस बात से और अधिक बढ़ गई थी कि जिन मुसलमानों को 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में संगठित कर राष्ट्रीय आंदोलन के अवरोध के रूप में पहचान दी गई थी उन्हें कुछ विशेष रियायतें देकर उनका हौसला बुलंद किया जा सकता था। यह सरकार परस्तों की एक नई टीम होती। 1892 का भारत परिषद अधिनियम यदि कांग्रेस आंदोलन की शक्ति को कम करने के लिए पारित किया गया था तो 1909 का अधिनियम वास्तव में मुसलमानों को अपनी और मिलाने के लिए तथा

Scanned with CamScanner

अंग्रेज नौकरशाहों की शक्ति को बढ़ाने के लिए पारित किया गया।

मार्ले और मिंटो सुधारों की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर कुछ छोटे-मोटे अंतर्विरोधों के बावजूद एकमत थे। मार्ले ने 1 जून और 15 जून 1906 के अपने पत्रों द्वारा मिंटों को स्पष्ट कर दिया था कि '**भारत में ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं को लागू करने का तो प्रश्न ही नहीं है और कम से कम आपके या मेरे समय में तो निश्चित ही नहीं।**' हालांकि गोखले के साथ भेटों के पश्चात मार्ले इस बात पर सहमत थे कि लेजिसलेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिलों में भी अधिक भारतीयों को आने की छूट होनी चाहिए तथा बजट संबंधी बहसों के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए और उसमें संशोधन पेश करने की अनुमति होनी चाहिए। यद्यपि बहुमत तो हमेशा अधिकारियों का ही रहेगा ऐसा मारले का मानना था।

To be continued....

BY ARUN KUMAR RAI
Asst.professor
P.G.Dept.of History
Maharaja College,Ara

Scanned with CamScanner